(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 58 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक: 5 फरवरी, 2018

विषय: प्रक्रिया पुस्तक (2015–2020) के अध्याय–2 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा दिनांक 05.12.2017 की सार्वजनिक सूचना सं० 43 / 2015–2020 के प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 2.14 (क) में दिए गए संशोधित प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.14 (क) जब कोई आईईसी धारक अपने आईईसी में शाखा कार्यालय / प्रधान कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय के पते में संशोधन / परिर्वतन चाहता है और जिसमें उसके क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक आता है, को इस संबंध में अनुरोध करना होगा। इस अनुरोध के आधार पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी (जो अब तक आईईसी फाइल का अभिरक्षक है) ऐसे अनुरोधों को प्रोसेस करेगा और आईईसी के सही पाए जाने पर उसमें संशोधन करेगा और उस क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक स्थानांतरण चाहता है, को भी सूचित करेगा। नया क्षेत्रीय प्राधिकारी उक्त व्यक्ति को नए पते पर आवश्यक कार्य करने तथा एफटीपी के अनुसार पात्र लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की भी अनुमति देगा।	जब कोई आईईसी धारक अपने आईईसी में प्रधान कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय के पते में संशोधन / परिवर्तन चाहता है और जिसमें उसके क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी में परिवर्तन हो जाता है तो उसे नए क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक अपना कार्यालय स्थानान्तरित कर रहा है, को इस आशय का अनुरोध करना होगा। नया क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक द्वारा उसे सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर समुचित संशोधन करेगा। नया क्षेत्रीय प्राधिकारी संबंधित आईईसी में किए गए परिवर्तनों के बारे में उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को भी पृथक रुप से सूचित करेगा जिसने प्रारंभ में आईईसी जारी किया था। तत्पश्चात, नया क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक को अपने कार्यालय के माध्यम से आवश्यक कार्य करने और एफटीपी के अनुसार पात्र लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की भी अनुमति देगा।

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** आईईसी में संशोधन का अनुरोध करने की प्रक्रिया में संशोधन अधिसूचित किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल: **dgft@nic.in**

(फा0 सं0 01 / 93 / 180 / 09 / एएम 16 / पीसी–2(ख) से जारी)